सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

आषाढ़ 4, सोमवार, शाके 1940–जून 25, 2018
Asadha 4, Monday, Saka 1940-June 25, 2018

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग

(पंचायती राज) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 25, 2018

एस.ओ.77 :–राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 107–क की उप–धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173–क के अधीन प्राधिकृत प्राधिकारियों के कृत्यों का पालन करने के लिए, नीचे दी गयी सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में वर्णित निम्नलिखित प्राधिकारियों को, क्रमशः स्तंभ संख्यांक 3 और 4 में उक्त सारणी में उनके प्रत्येक के सामने वर्णित प्रयोजन और क्षेत्रफल के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करती है, अर्थात् :–

क्र. सं.	प्राधिकृत प्राधिकारी	प्रयोजन	भूमि क्षेत्रफल
1	2	3	4
1	संबंधित ग्राम पंचायत	1. वाणिज्यिक प्रयोजन, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पम्प को अपवर्जित करते हुए	100 वर्गमीटर तक
		2. लोक उपयोग प्रयोजन	300 वर्ग मीटर तक
2	संबंधित पंचायत समिति की प्रशासनिक और संस्थापन समिति	1. वाणिज्यिक प्रयोजन, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पम्प को अपवर्जित करते हुए	100 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 300 वर्गमीटर तक
		2. लोक उपयोग प्रयोजन	300 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 900 वर्गमीटर तक
		3. चिकित्सा सुविधा प्रयोजन	300 वर्गमीटर तक

3	संबंधित जिला परिषद की प्रशासनिक और संस्थापन समिति	1. वाणिज्यिक प्रयोजन, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पम्प को अपवर्जित करते हुए	300 वर्गमीटर से अधिक
		2. लोक उपयोग प्रयोजन	900 वर्गमीटर से अधिक
		3. चिकित्सा सुविधा प्रयोजन	300 वर्गमीटर से अधिक
4	राज्य सरकार	1. वाणिज्यिक प्रयोजन, केवल सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, पेट्रोल पम्प	किसी भी क्षेत्र के लिए
		2. औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक /औद्योगिक संपदा प्रयोजन	किसी भी क्षेत्र के लिए
		3. सौर या वायु शक्ति संयत्र की स्थापना	किसी भी क्षेत्र के लिए

[संख्या एफ.4(93)सीएलयू/नोटि./लीगल/पी आर/2018/833]

राज्यपाल के आदेश से,

कुंजी लाल मीना,

शासन सचिव।

Department of Rural Development and Panchayati Raj

(Department of Panchayati Raj)

Notification

Jaipur June 25, 2018

S.O.77 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 107-A of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the State Government hereby authorises the following authorities mention in column number 2 of the table given below for the purpose and area mentioned in column number 3 and 4, respectively, against each of them in the said table, to

perform the functions of the authorised authority under rule 173-A of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996, namely:-

S.No.	Authorized Authority	Purpose	Land Area
1	2	3	4
1.	Gram Panchayat concerned	1. Commercial purpose except cinema, multiplex, petrol pump 2. Public Utility purpose	upto 100 sqr.meters upto 300 sqr.meters
2.	Administration and Establishment Committee of Panchayat Samiti concerned.	1. Commercial purpose except cinema, multiplex, petrol pump 2. Public Utility purpose 3. Medical Facilities purpose	more than 100 sqr. meters but upto 300 sqr. meters more than 300 sqr. meters but upto 900 sqr meters upto 300 sqr.meters
3.	Administration and Establishment Committee of Zila Parishad concerned.	1. Commercial purpose except cinema, multiplex, petrol pump 2. Public Utility purpose 3. Medical Facilities purpose	more than 300 sqr.meters more than 900 sqr.meters more than 300 sqr.meters
4.	State Government	1. Commercial purpose only cinema, multiplex, petrol pump 2. Industrial Area/ Industrial/Industrial Estate- purpose 3. establishment of solar or wind power plant	For any area For any area For any area

[No.F4(93)CLU/noti/Legal/PR/2018/ 833]

By Order of the Governor,

Kunji Lal Meena,

Secretary to the Government.

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 25, 2018

एस.ओ.78 :-राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 107-ख की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 173-ख के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए, संबंधित जिला परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को इसके द्वारा प्राधिकृत करती है।

[संख्या एफ.4(93)सीएलयू/नोटि./लीगल/पी आर/2018/834]

राज्यपाल के आदेश से,

कुंजी लाल मीना,

शासन सचिव।

Department of Rural Development and Panchayati Raj
(Department of Panchayati Raj)

Notification

Jaipur, June 25, 2018

S.O.78 .-In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 107-B of the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 13 of 1994), the State Government hereby authorises the Chief Executive Officer, Zila Parishad concerned to perform the function of the authorised officer under rule 173-B of the Rajasthan Panchayati Raj Rules, 1996.

[No.F4(93)CLU/noti/Legal/PR/2018/834]

By Order of the Governor,

Kunji Lal Meena,

Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.